संख्या:32/2020/1612/12-2-2020-बजट.1/2009

प्रेषक,

विद्या शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 438/कृ0र0/छ-1/की0रो0नि0यो0/2020-21 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 2074.00 लाख (रूपये बीस करोड चौहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष माह अक्टूबर, 2020 तक के लिए 768.38 लाख (रूपये सात करोड अरसठ लाख अडतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार उन्हे अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवयकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, 07 अप्रैल, 2020, 11 अप्रैल, 2020 एवं 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

10. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

11. कृषि रक्षा यंत्रों पर देय अनुदान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 820/12-2-2015-61/2012 दिनांक 31 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या: 3544/12-2-2012 दिनांक 05 नवम्बर, 2012 तथा शासनादेश संख्या: 4/2018/525/12-2-2018-बजट.1/2009 दिनांक 6 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जायेगा।

12. अवमुक्त की जा रही धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

13. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:32/2020/1612(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।